न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 949–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–03–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 427/अपील/2009–10.

.....

रंगू वल्द वारू मरकाम
निवासी झाडेगॉव तहसील थाना व
जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1– साहबलाल वल्द फूलचंद सरनेकार
साकिन झाड़ेगॉव तहसील थाना व
बैतूल म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदक
श्री एन.डी.नागले, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 1/3/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि रामदयाल एवं अन्य ग्रामवासी द्वारा ग्राम झाड़ेगॉव के कोटवार अनावेदक कमांक 1 साहबलाल के विरूद्ध शासकीय कत्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण किये जाने के कारण पद से हटाने की

मॉग की गई । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 11–11–2009 को अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद से पृथक किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–5–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–03–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः उसे बिना सूचना दिये आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा बिना दस्तावेजों के अवलोकन किये अनावेदक कमांक 1 द्वारा शासकीय भूमि पर अतिकमण किये जाना, शराब विकय किया जाना, ग्रामवासियों को धमकी देना जैसे गम्भीर प्रकृति के अपराध नहीं मानकर अपील स्वीकार करने में अभिलेख के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्र.1 पर विधिवत् आरोप सिद्ध पाते हुये आदेश पारित किये गये थे, जिन्हें निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है।

(4) आवेदक वर्तमान में अस्थायी कोटवार है इसलिये उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, अतः अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदक को पक्षकार बनाये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है और चूँकि आवेदक को बिना सुने अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, इसलिये वह आवेदक पर बन्धनकारी नहीं

होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्र.1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक क्र.1 को ग्राम झाडेगॉव का स्थायी कोटवार नियुक्त किया गया है, तब से वह निरन्तर कार्य कर रहा है और इसके पूर्व उसके पिता ग्राम कोटवार थे।

(2) अनावेदक क्र.1 को कोटवार पद से हटाये जाने के पश्चात् आवेदक को अस्थायी कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया और चूँकि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को कोटवार पद से हटाने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया गया है, इसलिये आवेदक की कोटवार पद की सेवाएं स्वत्व ही समाप्त हो गई है ।

(3) आवेदक प्रारम्भ से ही प्रकरण में पक्षकार नहीं रहा है इसलिये उसे निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था ।

(4) आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, अतः उसे पूर्व कोटवार से को रिश्ता या संबंध नहीं है ।

(5) तहसीलदार द्वारा केवल कथनों के आधार पर अनावेदक कमांक 1 पर आरोप सिद्ध किये गये है और उन्हें साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है ।

(6) कोटवार पद से पृथक किये जाने का आदेश गम्भीर प्रकृति के अपराध पर दिया जा सकता है, मामूली आधार पर कोटवार की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती है ।

तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 394 एवं 2003 आरएन 44 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।

5/ आवेदक एवं अनावेदक क्र.1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 28–12–07 को आदेश पारित कर अनावेदक क्र.1 को कोटवार पद से निलम्बित किया गया है और निलम्बन अवधि में

कोटवार पद के कार्य संचालन हेतु आवेदक को ग्राम कोटवार नियुक्त किया गया है, तत्पश्चात् दिनांक 11–11–09 को अनावेदक कमांक 1 को कोटवार पद से पृथक कर दिया गया है । तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर प्रथम अपील निरस्त की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–3–15 को आदेश पारित कर तहसीलदार एव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये हैं । इस प्रकार आवेदक पुनः कोटवार पद पर बहाल हो गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्र.1 की कोटवार पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जाती है और आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं रहता है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि तहसील न्यायालय को अनावेदक क्र.1 को निलम्बित करने की स्थिति में अस्थायी कोटवार की नियुक्ति नहीं कर सर्वप्रथम अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध लगे आरोपों की विधिवत् जॉच कर उसके विरूद्ध यथोचित आदेश पारित करना चाहिये था और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अनावेदक क्र.1 को कोटवार के पद से पृथक कर दिया जाता तब अस्थायी कोटवार के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करना चाहिये थी । इस कारण भी तहसीलदार द्वारा आवेदक की कोटवार के पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति को विधिवत् नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य आदेश नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर